बैठक ऑफ इंडिया

बनाम

लेखिमोनी दास एवं अन्य

10 मार्च, 2000

एस. सगीर अहमद और एस. राजेंद्र बाबू, जे.जे.

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908:

धारा 9 आदेश 21 नियम 100 और 101-अपर्याप्त आधारों पर परिसर के कब्जे के लिए डिक्री के खिलाफ प्राप्त निषेधाज्ञा-परिसर के कब्जे के लिए वादी-निर्णय-देनदारों और आदेश 21 के तहत आवेदन दाखिल करने वाले उनके गिरवीदार के पक्ष में पारित उपाय-डिक्री, नियम 100 और 101 और निषेधाज्ञा प्राप्त करना-अपर्याप्त आधारों पर निर्णय-देनदारों और उनके गिरवीदार द्वारा प्राप्त निषेधाज्ञा आदेशों के कारण परिसर के कब्जे की गैर-डिलीवरी के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने वाला डिक्री धारक, डिक्री धारक भी क्षति के लिए एक अलग मुकदमा दायर कर रहा है- माना जाता है कि मुआवजे के लिए एक नियमित मुकदमे को धारा

95 के तहत प्रदान की गई सारांश प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने से नहीं रोका जाता है, लेकिन यदि ऐसा कोई आवेदन किया जाता है और उसका किया जाता है तो यह नियमित मुकदमे के लिए एक बाधा के रूप में काम करेगा- जिस तरीके से प्रतिवादियों ने प्राप्त किया निषेधाज्ञा और डिक्री-धारकों को उनके परिसर का उपयोग करने से रोकना, प्रतिवादियों के वादी को कब्जे से वंचित करने के इरादे को दर्शाता है- निषेधाज्ञा अपर्याप्त और असंभव आधार पर प्राप्त की जाती है, यहां तक कि गिरवीदार बैठक भी मामले में उत्पन्न होने वाले द्वेष से खुद को मुक्त नहीं कर सकता है।

अभ्यास और प्रक्रिया-- ऐसे मामले में जहां तथ्य बड़े होते हैं और पक्ष इस आधार पर सुनवाई के लिए जाते हैं कि दूसरे पक्ष का दावा उन्हें स्पष्ट रूप से पता है; दलीलों की कमी से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टाइटल सूट संख्या 77/59 में वादी ने गोदाम के मूल पट्टेदार के उत्तराधिकारी और उप-पट्टेदारों के खिलाफ उक्त मुकदमा दायर किया। उप-पट्टेदारों सहित सभी प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। इसके बाद वादी ने गोदाम पर कब्जे के लिए निष्पादन का मामला दायर किया। चूँकि उक्त गोदाम में कई बोरियों में तिलहन का ढेर लगा हुआ था, और ढेर को तुरंत हटाया नहीं जा सकता था, वादी ने तिलहन सहित गोदाम पर कब्ज़ा प्राप्त कर लिया। तिलहन को अदालत के जमानतदार

द्वारा वादी के एक कर्मचारी, एक 'एसआर' की हिरासत में रखा गया था। इस स्तर पर अपीलकर्ता-बैठक ऑफ इंडिया ने आदेश XXI नियम 101 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें एमआईएस से माल की गिरवी के रूप में गोदाम पर कब्जा करने का दावा किया गया। 'बीबी' एक साझेदारी फर्म है जिसमें उप-पट्टेदार इसके भागीदार हैं। उक्त साझेदारी फर्म ने ऑर्डर XXI, नियम 100 और 101 सीपीसी के तहत एक और आवेदन भी दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि कब्जे की डिलीवरी की तारीख पर गोदाम पर उसका कब्जा है। प्रतिवादियों ने डिक्री धारकों को गोदाम से तिलहन के ढेर हटाने से रोकने के लिए दो अलग-अलग आवेदन दायर किए। एक आवेदन पर बैठक को सामान हटाने की छूट दी गई, लेकिन उसने आदेश में संशोधन के लिए आवेदन कर दिया। उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई जिसमें बैठक ने सामान हटाने की याचिका वापस ले ली।

वादी ने किराए के रूप में उन्हें हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया क्योंकि प्रतिवादियों ने गोदाम से माल नहीं हटाया और गलत तरीके से निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया। वादी ने मेस्ने लाभ का पता लगाने के लिए एक अलग मुकदमा भी दायर किया, जिसमें गलत तरीके से गोदाम में माल रखने के लिए नुकसान का दावा किया गया। इस मुकदमे में बैठक को प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में और पूर्व उप-पट्टेदारों को प्रतिवादी

नंबर 2 से 4 के रूप में शामिल किया गया था। बैठक ने गिरवीदार के रूप में गोदाम के कब्जे का दावा करते हुए मुकदमे का विरोध किया। इसने पहले के मुकदमे या निष्पादन कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। अन्य प्रतिवादियों ने दलील दी कि गोदाम में रखा माल फर्म का था; बैठक उन सामानों का गिरवीदार था; उन्होंने व्यवसाय नहीं चलाया; और उन्होंने डिक्री के निष्पादन में हस्तक्षेप नहीं किया। सभी प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि निषेधाज्ञा अवैध रूप से प्राप्त नहीं की गई थी, और इसलिए, वे किसी भी मुआवजे या क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया। अपीलीय अदालत ने माना कि उप-किरायेदार प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के तेल के बीजों के भंडारण के कारण वादी को हुए नुकसान के लिए अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकते, जिन्होंने ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 के पास इसे गिरवी रखा था। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में माना कि तिलहन उस साझेदारी फर्म के थे, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भागीदार थे, प्रतिवादी संख्या 1, बैठक, माल के गिरवीदार के रूप में वास्तविक भौतिक कब्जे में था। डिक्री के निष्पादन के समय गोदाम, कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 टाइटल सूट संख्या 77/59 में पारित डिक्री से बंधे थे; यह प्रतिवादी ही थे जिन्होंने आदेश 21, नियम 100 और 101 सीपीसी के तहत आवेदन किए और वादी-डिक्री धारकों को तेल बीज हटाने से रोक दिया; और स्वयं तेल के बीज न हटाने से, प्रतिवादी क्षति के

लिए उत्तरदायी हो गए। व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने वर्तमान अपीलें दायर कीं।

अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क दिया गया था कि धारा 95 सीपीसी, एक पूर्ण संहिता होने के कारण, अपर्याप्त आधार पर प्राप्त अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से उत्पन्न मुआवजे या क्षति के लिए उक्त प्रावधान के बाहर कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है; अदालत द्वारा दिए गए आदेश के कारण अतिचार के आधार पर क्षति के लिए कोई सरल मुकदमा नहीं हो सकता है और वादी को यह स्थापित करना होगा कि आदेश न केवल अपर्याप्त आधार पर बल्कि दुर्भावना से भी प्राप्त किया गया था।

अपीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया।

1.1. मुआवज़े के लिए एक नियमित मुकदमे को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 95 के तहत प्रदान की गई सारांश प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने से मिशन द्वारा रोका नहीं गया है, लेकिन यदि एक आवेदन किया जाता है और उसका निपटारा कर दिया जाता है, ऐसा नियमित मुकदमे में बाधा के रूप में कार्य करेगा, चाहे आवेदन का परिणाम कुछ भी हो। हालाँकि, धारा 95 सीपीसी के तहत एक आवेदन की रखरखाव के लिए आवश्यक शर्तों और एक मुकदमे को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्तों के बीच अंतर है। नियमित मुकदमा अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अपकृत्य पर आधारित है। अपकृत्य के मुआवजे के मुकदमे में

अपकृत्य के कानून के तहत वादी को न केवल निषेधाज्ञा प्राप्त करने के उचित या संभावित कारण की कमी को साबित करना होगा, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि प्रतिवादी द्वेष से आकर्षित था जो एक अनुचित उद्देश्य है।

1.2. धारा 95 सीपीसी मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक संक्षिप्त उपाय प्रदान करती है जहां एक अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई है यदि यह निषेधाज्ञा अपर्याप्त आधार पर लागू की गई थी या दावा शुरू करने के लिए कोई उचित या संभावित आधार नहीं था। निषेधाज्ञा। संहिता के तहत उपाय वैकल्पिक है और एक घायल पक्ष मुआवजे के लिए निषेधाज्ञा के लिए आवेदक के खिलाफ नियमित मुकदमा दायर कर सकता है यदि उसने पहले से ही उपरोक्त प्रावधान के तहत राहत नहीं मांगी है। इस प्रकार यह धारा गलत तरीके से निषेधाज्ञा प्राप्त करने के मामलों में एक वैकल्पिक उपाय है और यह किसी भी तरह से दुर्भावनापूर्ण कानूनी प्रक्रिया के नुकसान के लिए मुकदमों को विनियमित करने वाले सिद्धांतों में हस्तक्षेप नहीं करती है। [227-जी-एच; 228-ए-बी

1.3 वादी धारा 95 सी.पी.सी के अलावा क्षति के दावे को उचित ठहराने में न्यायिक मंजूरी के बिना किए गए कार्यों के बीच अंतर करना होगा और न्यायिक मंजूरी के तहत किए गए कार्य अनुचित तरीके से प्राप्त किए गए। वादी दुर्भावना का प्रमाण आवश्यक नहीं है जब निष्पादन में

संपति किसी अजनबी के पास न होकर वादी के पास हो किंतु जब वादी द्वेष कानूनी प्रक्रिया के संबंध में वाद दायर किया जाता है तब द्वेष का प्रमाण आवश्यक है वादी को विशेष रूप से अपनी क्षति को साबित करना होगा पक्षकार के क्षति दावे के लिए उसकी गलत तरीके से संपति कुर्की की जाती है तब वह दो शिर्षकों के अंदर होती है (1) अतिचार (2) दुर्भावना पूर्ण कानूनी प्रक्रिया जहां पर संपति किसी व्यक्ति से संबंधित है न कि किसी दावे में किसी प़क्षकार से है और गलतं तरीके से कुर्की की जाती है तब वह प्रथम आधार अतिचार का ही है। किंतु जहां पर कुर्की का कार्य न्यायिक अनुमति से किया जाता है तब उसके लिए दुर्भावना कानूनी प्रक्रिया का ही उपचार है। न्यायालय में दुर्भावना पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के मामले में वादी को यह सिद्ध करना पडेगा की उसमे संभावित और उचित कारण नहीं है। अतिचार के मामले में वादी को सिर्फ अतिचार ही सिद्ध करना और यह प्रतिवादी को अच्छा कारण या बहाना सिद्ध करना है। इसके पूर्व के मामले मे वादी को दुर्भावना प्रतिवादी के स्थान पर सिद्ध करना है जबकि बाद वाले मामले में यह आवश्यक नहीं है।

2.1 वर्तमान मामले मे यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि गोदाम किराये पर दे दिया गया तथा फर्म तथा उसके भागीदार बेदखली के वाद मे डिक्री जारी होने के बाद किसी प्रकार का कोई स्वत्व, अधिकार तथा लाभ इस गोदाम में स्थापित नहीं कर पाये थे। उनका उक्त गोदाम मे सामान

रखे जाने का वास्तविक अथवा दृश्यमान कब्जे का कोई अधिकार नहीं था। सभी प्रतिवादीगण न्यायालय के नाजीर द्वारा जारी निष्पादन की डिक्री से बंधित थे जो कि वादीगण- प्रतिवादीगण को कब्जा प्राप्त करने के लिए जारी की गई थी। प्रतिवादीगण ने अगले ही दिन निषेधाज्ञा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

2.2 यह निशेषज्ञा प्राप्त किये जाने की पृष्ठभूमि मे तथा उसकी प्रक्रिया मे प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त परिसर के उपयोग मे लेने के लिए निषेधित कर दिया था जिससे स्पष्ट है कि यह अपर्याप्त तथा असभव कारणों पर प्राप्त किया है। पक्षकारों का आशय बहुत ही स्पष्ट है कि उक्त परिसर का कब्जा वादीगण को वंचित करने के लिए यह आदेश प्राप्त किया गया था। उक्त सभी सामानों का गिरवीकर्ता बैठक है तथा वह स्वतंत्र रूप से उक्त परिसर के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता है। वादग्रस्त परिसर या तो अनुज्ञप्ति या किराये पर कब्जे के रूप में नही था। यह उनके लिए यह निश्चित करना मुश्किल था कि यह सामान गिरवीकर्ता का है लेकिन यह जानना चाहिए था कि क्या यह परिसर जहां पर सामान रखा गया है यह कुछ समय उनसे संबंधित था। इन विशेष परिस्थितियों मे बैठक भी इस मामले मे उत्पन्न दुर्भावना से मुक्त नहीं कर सकता था।

3ण् यह किसी मुकदमें मे अभिवचनों की आवश्यकता अथवा किसी

विवाद के उत्पन्न होने पर जहां पूर्व से ही पक्षकार पूर्वाग्रह से ग्रसित कर दिया जाता है। जब किसी मामले में तथ्य बहुत बडे हो उसी आधार पर प़क्षकार विचारण के लिए जाते है और दूसरे पक्षकार का दावा बिल्कुल स्पष्ट हो तब अभिववचनों की कमी को पूर्वाग्रह नहीं कहा जा सकता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 828/1986

कलकत्ता उच्च न्यायालय के ई.सं. 1104/1979 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 6.12.85 से।

साथ सी एन

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एडी संख्या 406/1985 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 6.12.85 से।

सुबोध मार्कण्डेय, एस.बी. सान्याल, एस.सी. गुप्ता, अमलान घोष, पी.आर.सीतारमन, डी.पी. मुखर्जी, सुश्री नंदिनी मुखर्जी, विकास गुप्ता, जी.एस.चटर्जी, जयदीप गुप्ता, एस.के. पुरी, यू. बनर्जी, एच.के. पुरी, डी.एस.भट्टाचार्य, बावा ए.एल. त्रेहन और आदेश क्र. उपस्थित पार्टियों के लिए गिल।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 95- मुआवजा दावा- दुर्भावनापूर्ण

कानूनी प्रक्रिया- अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया गया और अपर्याप्त आधार पर दिया गया- धारा 95 सीपीसी के तहत प्रदान किया गया सारांश उपाय- यह निषेधाज्ञा की गलत प्राप्ति के मामलों में एक वैकल्पिक उपाय है -यह किसी भी तरह से दुर्भावनापूर्ण कानूनी प्रक्रिया के नुकसान के लिए मुकदमों को विनियमित करने वाले सिद्धांतों में हस्तक्षेप नहीं करता है- घायल पक्ष एक नियमित मुकदमा दायर कर सकता है- एक नियमित मुकदमा एक सारांश द्वारा वर्जित नहीं है और इसके लिए एक समवर्ती उपाय भी प्रदान किया जा रहा है- मुआवजे के लिए नियमित मुकदमा सीपीसी की धारा 95 के तहत प्रदान की गई सारांश प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने में चूक से रोक नहीं है- हालांकि, यदि कोई आवेदन किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है- तो ऐसा नियमित मुकदमे के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करेगा, चाहे आवेदन का परिणाम कुछ भी हो- के लिए आवश्यक शर्तों के बीच अंतर दो उपाय माना गया धारा 95 सीपीसी मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक संक्षिप्त उपाय प्रदान करती है जहां एक अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई है यदि ऐसा निषेधाज्ञा अपर्याप्त आधार पर लागू किया गया था या निषेधाज्ञा के लिए दावा शुरू करने के लिए कोई उचित या संभावित आधार नहीं था। ऐसी कार्यवाही में प्रतिवादी को केवल अदालत में एक याचिका प्रस्तुत करनी होती है और अदालत अपने आर्थिक क्षेत्राधिकार के अधीन 1,000- रुपये तक का मुआवजा दे सकती है। संहिता के तहत उपचार वैकल्पिक है और एक घायल आवेदक

के खिलाफ मुआवजे के लिए निषेधाज्ञा के लिए नियमित मुकदमा दायर कर सकता है यदि उसने पहले से ही उपरोक्त प्रावधान के तहत राहत नहीं मांगी है। इस प्रकार यह धारा गलत तरीके से निषेधाज्ञा प्राप्त करने के मामलों में एक वैकल्पिक उपाय है और यह किसी भी तरह से दुर्भावनापूर्ण कानूनी प्रक्रिया के नुकसान के लिए मुकदमों को विनियमित करने वाले सिद्धांतों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(पैरा 7) एक सामान्य सिद्धांत के रूप में जहां कानून के तहत दो उपचार उपलब्ध हैं, उनमें से एक को दूसरे के अपमान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। एक नियमित मुकदमे को सारांश और उसके लिए समवर्ती उपाय प्रदान किए जाने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन यदि किसी पक्ष ने एक उपाय अपनाने का चुनाव किया है तो वह इसके लिए बाध्य है और इसमें असफल होने पर किसी अन्य प्रावधान के तहत आगे नहीं बढ़ सकता है। मुआवजे के लिए एक नियमित मुकदमे को धारा 95 सी.पीसी के तहत प्रदान की गई सारांश प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने से नहीं रोका जाता है, लेकिन यदि कोई आवेदन किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है, तो ऐसा नियमित मुकदमे के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो आवेदन पत्र। हालाँकि, धारा 95 सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन की रखरखाव के लिए आवश्यक शर्तों और एक मुकदमे को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्तों के बीच अंतर है। नियमित

मुकदमा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अपकृत्य पर आधारित है। अपकृत्य के मुआवजे के मुकदमे में अपकृत्य के कानून के तहत वादी को न केवल निषेधाज्ञा प्राप्त करने के उचित या संभावित का रण की कमी को साबित करना होगा, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि प्रतिवादी द्वेष से आकर्षित था जो एक अनुचित उद्देश्य है।

(पैरा 8) सी.पीसी की धारा 95 के अलावा नुकसान के दावे को उचित ठहराने के लिए, न्यायिक मंजूरी के बिना किए गए कृत्यों और अनुचित तरीके से प्राप्त न्यायिक मंजूरी के तहत किए गए कृत्यों के बीच अंतर करना होगा। द्वेष का प्रमाण आवश्यक नहीं है जब किसी अजनबी की संपत्ति, मुकदमे का पक्ष नहीं, हीं निष्पादन में ली जाती है, लेकिन यदि दुर्भावनापूर्ण कानूनी प्रक्रिया के लिए मुकदमा लाने वाला वादी मुकदमे में एक पक्ष है, तो द्वेष का प्रमाण आवश्यक है। वादी को विशेष क्षति साबित करनी होगी। किसी व्यक्ति की संपत्ति की गलत कुर्की के नुकसान का दावा दो शीर्षकों के अंतर्गत आ सकता है- (1) अतिचार और (2) दुर्भावनापूर्ण कानूनी प्रक्रिया। जहां मुकदमे के पक्षकार की नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति की संपत्ति गलत तरीके से कुर्क की जाती है, तो कार्रवाई वास्तव में अतिचार पर आधारित होती है। लेकिन जहां शिकायत की गई कुर्की का कार्य न्यायिक मंजूरी के तहत किया गया था, हालांकि एक पार्टी के कहने पर, उपाय दुर्भावनापूर्ण कानूनी प्रक्रिया के लिए एक कार्रवाई है।

न्यायालय की दुर्भावनापूर्ण कानूनी प्रक्रिया के मामले में, वादी को संभावित और उचित कारण की अनुपस्थिति साबित करनी होगी। अतिचार के मामलों में वादी को केवल अतिचार साबित करना होता है और प्रतिवादी को कोई अच्छा कारण या बहाना साबित करना होता है। पहले मामले में वादी को प्रतिवादी की ओर से द्वेष साबित करना होगा जबकि बाद वाले मामले में यह आवश्यक नहीं है।

(पैरा 9) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 95 मुआवजा दावा-रखरखाव-वादी ने एक डिक्री के निष्पादन में गोदाम का कब्जा प्राप्त किया-गोदाम खाली स्थिति में नहीं बल्कि उसमें संग्रहित तिलहन के साथ प्राप्त किया गया-वादी डिक्री धारकों के कर्मचारी को संरक्षक बनाया गया था माल- प्रतिवादियों ने एक निषेधाज्ञा आदेश द्वारा वादी को तिलहन हटाने से रोक दिया- स्वयं तिलहन न हटाने से, प्रतिवादी क्षति के लिए उत्तरदायी हो गए- वादी लाभकारी तरीके से गोदाम का प्रभावी दार उक्त गोदाम में कोई स्वामित्व, हित का अधिकार स्थापित नहीं कर सके और इसलिए, उन्हें अपना माल उसमें रखकर उक्त गोदाम पर वास्तव में या रचनात्मक रूप से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं था। एमएस भगत ऑयल मिल्स, जो मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल हुआ था, विवादित परिसर का उप-पट्टेदार था और बैजनाथ भगत उक्त मुकदमे में मालिक के रूप में पेश हुए थे और उनकी मृत्यु पर उनके स्थान पर अन्य प्रतिवादियों

को प्रतिस्थापित किया गया था। उन परिस्थितियों में, सभी प्रतिवादी निष्पादन की डिक्री से बंधे थे, जिसके कब्जे की वसूली अदालत के बेलीफ द्वारा वादी-प्रतिवादियों को दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बंसीधर बैजनाथ से स्वतंत्र किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे और इसलिए, धारा 95 सी.पी.सी. के अलावा भी वादी प्रतिवादी संख्या द्वारा विचाराधीन गोदाम के गलत उपयोग और कब्जे के लिए क्षति के लिए एक स्वतंत्र मुकदमा दायर कर सकते थे। 1 से 4. डिक्री धारक वादी का उक्त तिलहन पर को ई दावा नहीं था और न ही उन्होनें नेकिसी भी स्तर पर कोई दावा किया था। इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं था कि जमानतदार ने वादी के कर्मचारियों में से एक की हिरासत में सामान रखा था और यह प्रतिवादी थे जिन्होनें नेअगले ही दिन निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया था और उसे प्राप्त किया था।

(पैरा 10) जिस पृष्ठभूमि में निषेधाज्ञा प्राप्त की गई थी और जिस तरह से प्रतिवादियों ने वादी को अपने परिसर का उपयोग करने से रोका था, यह स्पष्ट है कि निषेधाज्ञा अपर्याप्त और असंभव आधार पर प्राप्त की गई थी। पार्टियों का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादियों को परिसर के कब्जे से वंचित करने के लिए ही ऐसा आदेश प्राप्त किया गया था। बैठक माल का गिरवीदार था और उक्त परिसर के संबंध में स्वतंत्र अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। मुकदमा परिसर या तो लाइसेंस के तहत या पट्टे

के माध्यम से उनके कब्जे में नहीं था। उन्हें न केवल यह पता लगाना चाहिए था कि सामान गिरवी रखने वाले का है या नहीं, बल्कि यह भी जानना चाहिए था कि जिस परिसर में सामान रखा गया था, वह गिरवी प्राप्त करने के समय उनका था या नहीं। उन परिस्थितियों में, बैठक भी मामले में उत्पन्न दुर्भावना से खुद को मुक्त नहीं कर सकता है। किसी मुकदमे में दलील देने या कोई मुद्दा उठाने की इच्छा तब उत्पन्न होती है जब किसी पक्ष को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामले में जहां तथ्य स्पष्ट रूप से बड़े हैं और पक्ष इस आधार पर सुनवाई के लिए जाते हैं कि दूसरे पक्ष का दावा उन्हें स्पष्ट रूप से पता है, हम यह समझने में विफल रहते हैं कि दलीलों की कमी उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

(पैरा 11) अभ्यास और प्रक्रिया- जहां कानून के तहत दो उपचार उपलब्ध हैं- उनमें से एक को दूसरे के अपमान में काम करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए- एक नियमित मुकदमे को एक सारांश और एक समवर्ती उपाय भी प्रदान करने से रोका नहीं जाएगा- यदि कोई पार्टी ने एक उपाय अपनाने का चुनाव किया है, वह इससे बंधा हुआ है और इसमें विफल रहने पर किसी अन्य प्रावधान के तहत आगे नहीं बढ़ सकता है। (पैरा 8) संदर्भित अधिनियमरू सिविल प्रक्रिया संहितारू एस. 95 संदर्भित मामलेरू भूपेन्द्र नाथ चटर्जी एवं अन्य। वी. एस.एम. त्रिनयनी देवी, एआईआर 1944 कलकत्ता 289रू प्रतिष्ठित। (पैरा 5) विशिष्ट अल्बर्ट

बोनन बनाम इंपीरियल टो बैठकू कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एआईआर 1929 प्रिवी काउंसिल 222 रू प्रतिष्ठित। (पैरा 5) विशिष्ट इंदर सिंह निहाल सिंह बनाम मुख्य आयुक्त, दिल्ली एवं अन्य, एआईआर 1963 पंजाब 158 रू स्वीकृत। (पैरा 7) अनुमत बसम्मा और अन्य। वी. पीरप्पा, एआईआर 1982 कर्नाटक 9 रू स्वीकृत। (पैरा 5) अनुमत के. स्यामलाम्बल बनाम एन. नम्बेरुमल चेट्टियार, (1957) 1 मैड.एल.जे. 118 रू स्वीकृत। (पैरा 7) अनुमत महत्वपूर्ण बिंदु सारांश धारा 95 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किया गया उपाय गलत तरीके से निषेधाज्ञा प्राप्त करने के मामलों में एक वैकल्पिक उपाय है और यह किसी भी तरह से दुर्भावनापूर्ण कानूनी प्रक्रिया के नुकसान के लिए मुकदमों को विनियमित करने वाले सिद्धांतों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

राजेंद्र बाबू, न्यायाधिपति- सुविधा के प्रयोजनों के लिए, हम मूल मुकदमे में सूचीबद्ध पक्षों का उल्लेख करते हैं जिनसे यह अपील उत्पन्न होती है। शीतल चंद्र दास और कर्मधर दास ने गोदाम नंबर 103/1 बी राजा दीपेंद्र स्ट्रीट, कलकत्ता के मूल पट्टेदार की बहू माधुरी चैधरी के खिलाफ अलीपुर में अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में टाइटल सूट नंबर 77/59 दायर किया। उक्त मुकदमे में उप किरायेदार बृज किशोर भगत, नवल किशोर भगत और दुर्गा देवी भगत को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। उक्त मुकदमे का फैसला 30 सितंबर, 1963 को बृज

किशोर भगत, नवल किशोर भगत और दुर्गा देवी भगत सहित सभी प्रतिवादियों के खिलाफ सुनाया गया था। उस मुकदमे में वादी पक्ष ने केस संख्या 18/63 में निष्पादन लगाया जिसमें विवादित परिसर के कब्जे की डिलीवरी के लिए वारंट जारी किया गया था। विवादित गोदाम में रैक थे जिन पर तिलहन का दारी फर्म से माल की गिरवी के रूप में गोदा म पर कब्जा कर लिया था।, अर्थात्, मैसर्स। बंसीधर बैजनाथ और बृज किशोर भगत, दुर्गा देवी भगत और नवल किशोर भगत, जो उक्त फर्म के पार्टनर बताए गए हैं। एमएस फर्म बंसीधर बैजनाथ ने भी आदेश ग्ग्प् नियम 100 और 101 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि कब्जे की डिली वरी की तारीख पर गोदाम का कब्जा है। ये आवेदन अलीपुर के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में विविध मामले संख्या 1ध्72 और विविध मामले संख्या 3ध्72 के रूप में दर्ज किए गए थे। वादी ने तर्क दिया कि वर्तमान प्रतिवादी डिक्री और मैसर्स के कब्जे के दावे से बंधे थे। बंसीधर बैजनाथ या बैठक को गिरवी रखना सब निराधार थे। यह भी तर्क दिया गया कि कब्जे की डिलीवरी की तारीख पर भगत समूह का गोदाम पर कब्जा था। डिक्री धारकों को गोदाम से तिलहन के पर पूर्ण बनाया गया था कि विविध मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाएगा और अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त द्वारा तिलहन की एक सूची बनाई गई थी। विविध मामले संख्या 1ध्72 को दिशा-निर्देश की मांग करते हुए दायर किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1, बैठक ने उक्त तिलहन को इस

आधार पर हटा दिया कि वादी को प्रतिदिन पर्याप्त नुकसान हो रहा था और माल खराब हो गया था। अधीनस्थ न्यायधीश, अलीपुर ने बैठक को उक्त सामान हटाने की अनुमति दे दी। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1-बैठक ने 27 जून के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन किया था। 1972 हाई कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। इससे पहले कि उच्च न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त सामान को हटाने की याचिका वापस ले ली और 27 जून 1972 को पारित अधीनस्थ न्यायधीश के आदेश को रद्द कर दिया गया। प्रतिवादियों की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए, वादी को किराए के रूप में और बैठक को खाली कब्जा न देने, गलत तरीके से निषेधाज्ञा प्राप्त करने और वादी द्वारा दिए गए प्रस्तावों के बावजूद सामान न हटाने से नुकसान हुआ था। और वादी द्वारा किए गए प्रस्तावों के बावजूद सामान रखने के कारण, प्रतिवादी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गए हैं। मेस्ने मुनाफे का पता लगाने के लिए एक अलग मुकदमा भी दायर किया गया था और जिस मुकदमे से ये कार्यवाही उत्पन्न हुई, वादी ने 15 जनवरी, 1972 से उक्त कथित तेल बीज को गलत तरीके से रखते हुए नुकसान का दावा किया।

2. प्रतिवादी नंबर 1- बैठक ने मुकदमालड़ा। यह अनुरोध किया जाता है कि मै. बंसीधर बैजनाथ एक साझेदारी फर्म और बैठक का एक घटक है जो तिलहन की बिक्री और खरीद का व्यवसाय करता था और उपरोक्त

परिसर में इसका गोदाम था। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने गिरवीदार के रूप में गोदाम पर रखे माल सहित उस पर कब्जा कर लिया था। उक्त गोदाम में प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में गिरवी रखे गए कुसुम तिलहन के 3409 बैग का स्टॉक था। गोदाम को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बंद कर दिया गया था और उक्त गोदाम के दरवाजे पर बेहतर गुणवत्ता के ताले लगाए गए थे। उस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम अंकित है और प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त गोदाम पर एक नेम प्लेट और साइन बोर्ड भी लगाया है। 14 जनवरी, 1972 को शाम लगभग 4 बजे बैठक के एक कर्मचारी को टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया गया कि ताले तोड़े जा रहे हैं और कुछ ताले लगाए जा रहे हैं। प्रतिवादी-बैठक के एजेंट ने मौके पर जाकर देखा कि गोदाम में लगे ताले हटा दिए गए थे और उनकी जगह दूसरे ताले लगा दिए गए थे। प्रतिवादी की नेम प्लेट भी हटा दी गई थी। बैठक के एजेंट को गोदाम में प्रवेश करने और गिरवी रखे गए माल का निरीक्षण करने से रोका गया। 14 जनवरी, 1972 को पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी की पूरी जानकारी के भीतर उक्त गोदाम में गिरवी रखे गए माल पर पूर्ण भौतिक और शांतिपूर्ण कब्जा कर लिया था और उसके बाद उन्होंने मामला दायर किया। अपने कानूनी अधिकारों का पता लगाने और कब्जे की बहाली के लिए आदेश ग्ग्प् नियम 100 और 101 सी पीसी के तहत एक आवेदन। प्रतिवादी-बैठक ने यह भी दावा किया कि टाइटल सूट संख्या

77 ध्59 में डिक्री के बारे में को ई जानकारी नहीं है और न ही निष्पादन मामले संख्या 18 ध्63 में कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी है। आदेश दिनांक 27 जून 1972 विविध मामला संख्या 1 ध्72 इस शर्त के अधीन बनाया गया था कि मैसर्स के अधिकार। बंसीधर बैजनाथ को बैठक की कीमत पर उनके मूल पद पर बहाल किया जाएगा। उक्त गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उक्त आदेश से कार्यवाही की बहुलता के कारण जटिलताएं पैदा होने की संभावना थी, उक्त आदेश पर पुनर्विचार के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और उक्त आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर होने पर इसे अलग रखा गया था और इसे खारिज कर दिया गया था। दावा किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा पुनरीक्षण याचिका वापस नहीं ली गई थी और उन्होनें ने अवैध रूप से गलत तरीके से निषेधाज्ञा का कोई आदेश प्राप्त नहीं किया था और इसलिए वादी किसी भी क्षति या मुआवजे के हकदार नहीं थे। अन्य प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि वादी ने गोदाम और तेल के बीज सहित माल पर विशेष कब्जा प्राप्त कर लिया था, जिसे अदालत के जमानतदार ने वादी के एक अधिकारी, सीताराम रॉय की हिरासत में रखा था। वे तिलहन फर्म मैसर्स के थे। बंसीधर बैजनाथ और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने व्यवसाय नहीं किया और इसलिए, वे उस सामान को हटाने के लिए उत्तरदायी नहीं थे जो उनका नहीं था और बैठक उन सामानों का गिरवीदार है। प्रतिवादियों ने उन व्यक्तियों के लिए कार्य नहीं किया और उन्होनें ने डिक्री के निष्पादन में

बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया। निषेधाज्ञा का आदेश अवैधानिक रूप से प्राप्त नहीं किया गया था। प्रतिवादियों ने कभी भी वादीगण को गोदामों का उपयोग करने से नहीं रोका और इसलिए, वे मुआवजे या क्षति का भुगतान करने के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं थे। वादी ने अपने अधिकारी के माध्यम से माल को अपनी हिरासत में रखा है और इन प्रतिवादियों के खिलाफ किसी भी नुकसान का दावा या आरोप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए, प्रतिवादी किसी भी तरह से क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और मुआवजे के लिए किया गया दावा भी अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है और मुकदमा विफल होने योग्य है।

3. इन दलीलों पर ट्रायल कोर्ट द्वारा 12 मुद्दे उठाए गए थे। ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह मुकदमा पार्टियों के मिस-जॉइंडर और नॉन-जॉइंडर के लिए बुरा नहीं था और यह मुकदमा परिसीमा अवधि के भीतर था और वादी ने अदालत के माध्यम से विवादित गोदाम की डिलीवरी प्राप्त कर ली थी और इस आशय की प्रचुर सामग्री थी। इस सवाल पर कि वादी पक्ष द्वारा गोदाम के कब्जे की पूर्वोक्त डिलीवरी प्राप्त करने के बाद अदालत के जमानतदार द्वारा सीताराम रॉय की हिरासत में रखे गए गोदाम में माल और तिलहन का कब्जा किसके पास था, ट्रायल कोर्ट ने वही उत्तर दिया। वादी पक्ष के पक्ष में इस आशय का निर्णय लिया गया है कि इस बिंदु पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि गोदाम में माल

और तिलहन अदालत के जमानतदार द्वारा वादी पक्ष के एक अधिकारी, सीताराम राय की हिरासत में उस समय रखा गया था। गोदाम का कब्जा प्रदान करना। इस सवाल पर कि क्या ये तिलहन मेसर्स के थे। बंसीधर बैजनाथ और फर्म के साझेदारों के मामले में यह माना जाता है कि माल को मेसर्स द्वारा बैठक में गिरवी रखा गया था। बंसीधर बैजनाथ एक साझेदारी फर्म है जिसमें भागीदार बृज किशोर भगत और श्रीमती शामिल हैं। दुर्गा देवी भगत और सामान सुरक्षा धारक के रूप में बैठक ऑफ इंडिया के थे और स्वामित्व के माध्यम से गिरवी रखा गया था जो साझेदारी फर्म के पास रहा। गिरवीदार के रूप में बैठक ऑफ इंडिया गिरवी रखी गई वस्तुओं पर उसके द्वारा अग्रिम धन से अधिक का कोई दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गिरवी रखी गई वस्तुएं पार्टनरशिप फर्म मैसर्स की थीं। बंसीधर बैजनाथ और बैठक ऑफ इंडिया उन वस्तुओं का मात्र गिरवीदार है। इस सवाल पर कि क्या प्रतिवादियों ने विवादित गोदाम के वादी के कब्जे में हस्तक्षेप किया, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि माल को गोदाम के अंदर रखा जाना जारी रखा गया था और हालांकि वादी ने निष्पादन कार्यवाही में कब्जा प्राप्त कर लिया था और माल को जब्त कर लिया गया था। सीताराम रॉय को हिरासत में दे दिया गया और इसलिए, किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी समय प्रतिवादियों ने विवादित गोदाम के वादी के कब्जे में हस्तक्षेप किया। माल आदि हटाने के लिए निषेधाज्ञा के लिए

दायर आवेदन प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम थे ताकि माल बर्बाद या क्षतिग्रस्त न हो और जब निषेधाज्ञा बाद में खाली हो गई, तो उन्होनें गोदाम को किसी और को दे दिया। इस प्रकार विवादित गोदाम में वादी के कब्जे में प्रतिवादियों द्वारा कभी हस्तक्षेप नहीं किया गया। इन निष्कर्षों पर ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी द्वारा दायर मुकदमे को बिल्कुल भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है और यह भी देखा कि वादी ने निषेधाज्ञा के आदेश को पूर्ण रूप से रोकने के लिए सहमति व्यक्त की, जिससे प्रतिवादियों को उनके गोदाम से माल निकालने से रोका जा सके। प्रतिवादियों द्वारा गोदाम के उपयोग और कब्जे के लिए क्षति का दावा करना वादी के लिए खुला नहीं है। क्षति के रूप में मुआवजे की अनुमति दी जा सकती है यदि ऐसा प्रतीत होता है कि निषेधाज्ञा अपर्याप्त आधार पर दी गई थी और इसलिए, वादी किसी भी क्षति के हकदार नहीं हैं क्योंकिक्यों प्रतिवादियों ने विविध मामलों में उनके खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया है। यदि मुकदमा इस आधार पर विफल हो जाता है कि इसके लिए कोई उचित और संभावित कारण नहीं था, तो क्षति के रूप में मुआवजे की भी अनुमति दी जा सकती है। निर्णय प्रदर्शनी 10 से, यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त मुकदमा बिना किसी उचित और संभावित कारण के दायर किया गया था। उस आधार पर मुकदमा लागत सहित ख़ारिज कर दिया गया।

4. मामले को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीपुर की अदालत में अपील में ले जाया गया। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पाया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि वादी विचाराधीन गोदाम के मालिक थे और उन्होंने ने टाइटल सूट नंबर में डिक्री के अनुसार प्रतिवादियों नंबर 2 से 4 और अन्य के खिलाफ उसी के खास कब्जे के लिए डिक्री प्राप्त की। 77ध्99 एवं निष्पादन वाद संख्या 18ध्63 दायर कर वादीगण ने न्यायालय के माध्यम से 14 जनवरी 1972 को गोदाम पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा उक्त गोदाम में बड़ी संख्या में तिलहन से भरी बोरियां जमा हो जाने के कारण समस्या उत्पन्न हो गयी। बीज वास्तव में पार्टनरशिप फर्म मेसर्स बंसीधर बैजनाथ के थे, जो उक्त फर्म का उप-पट्टेदार था। वादी ने उक्त फर्म के साझेदारों को उक्त मुकदमे में शामिल किया था और वे साझेदार वर्तमान मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 2 से 4 हैं और वे टाइटल सूट नंबर 77ध्59 में पारित डिक्री से बंधे थे। उनका यह तर्क कि वे उक्त फर्म के भागीदार नहीं थे, खारिज कर दिया गया था और वे उस निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आए थे। हालाँकि वादी ने गोदाम पर विशेष कब्जा कर लिया था, लेकिन कब्जा सौंपने के समय गोदाम में तिलहन थे, वादी को तिलहन के निपटान के लिए शायद ही कोई समय दिया गया था क्योंकि क्यों अगले ही दिन 15 जनवरी 1972 को कब्जे की डिलीवरी के एक दिन बाद मैसर्स बंसीधर बैजनाथ ने तिलहन पर अपने दावे के फैसले के लिए आदेश ग्ग्प् नियम 100 सीपीसी के तहत एक

आवेदन दायर किया और उसी दिन उन्होंने ने एक निषेधाज्ञा प्राप्त की जिसमें वादीगण को विचाराधीन गोदाम से तिलहन निकालने से रोक दि या गया और अंतरिम निषेधाज्ञा को पूर्ण बना दिया गया। और इस प्रकार वादीगण को तिलहन के से रोका गया। इसके बाद खूब मुकदमेबाजी शुरू हुई. इस तरह की प्रतियोगिता में प्रतिवादियों द्वारा गोदाम के उपयोग या कब्जे के कारण हुए नुकसान के दावे का विरोध नहीं किया जा सका। वादी गोदाम को दूसरों को किराए पर नहीं दे सकते थे और यह प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के कृत्यों के कारण था और इसलिए, वे तिलहन के भंडारण के कारण वादी को हुए नुकसान के लिए अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकते। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 जिन्होंने ने ऋण की सुरक्षा के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के पास प्रतिज्ञा की थी। विद्वान न्यायाधीश ने यह विचार किया कि वादी अपने-अपने दायित्व की सीमा के कब्जे के कारण वादी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बैठक के साथ-साथ अन्य प्रतिवादियों से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। इसलिए, उन्होंने ने फैसले को रद्द कर दिया और मुकदमे का फैसला सुनाया और आगे यह स्पष्ट कर दिया कि नुकसान का आकलन इस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और उस उद्देश्य के लिए मामले को रिमांड पर लिया गया था।

5. मामला हाईकोर्ट में दूसरी अपील में चला। उच्च न्यायालय में विचार यह है कि नीचे की अदालतों द्वारा उक्त गोदाम के संबंध में मेसर्स

बंसीधर बैजनाथ औरध्या उसके साझेदारों, रों यानी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में कोई स्वतंत्र स्वामित्व नहीं पाया गया है और धारा 95 सीपीसी के अलावा, वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा गोदाम के गलत उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान की वसूली के लिए कार्रवाई करने का हकदार है। उच्च न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी संख्या 1, बैठक ऑफ इंडिया, केवल माल की प्रतिज्ञा में था, अर्थात् विचाराधीन गोदाम में संग्रहित तिलहन और वह फर्म मैसर्स का था। बंसीधर बैजनाथ किस फर्म के प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 साझेदार उक्त माल के गिरवीदार हैं। प्रतिवादी-बैठक के पास उक्त सामान था और टाइटल सूट नंबर 77/59 में पारित डिक्री के निष्पादन के समय गोदाम पर वास्तविक भौतिक कब्जा था। गिरवीदार के रूप में तिलहन पर दावे को छोड़कर, प्रतिवादी-बैठक के पास उक्त गोदाम के संबंध में कोई अन्य अधिकार नहीं था और बैठक ने उक्त गोदाम के संबंध में किरायेदारी या लाइसेंस के किसी अधिकार का दावा भी नहीं किया है। फर्म मैसर्स बंसीधर बैजनाथ औरध्या उसके साझेदार उक्त गोदाम में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित स्थापित नहीं कर सके और इस तरह प्रतिवादियों को अपना माल उसमें रखकर उक्त गोदाम पर वास्तविक या रचनात्मक कब्जा करने का अधिकार नहीं था। टाइटल सूट नंबर 77/59 मेसर्स में। भगत ऑयल मिल्स को प्रतिवादी नंबर 3 के रूप में विवादित परिसर के उप-पट्टेदार के रूप में शामिल किया गया था और बैजनाथ भगत उक्त मुकदमे में मेसर्स के मालिक के रूप में पेश हुए थे।

भगत ऑयल मिल्स और उक्त मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, बैजनाथ भगत की मृत्यु हो गई, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को उक्त बैजनाथ भगत के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। उस मुकदमे में विवादित परिसर पर कब्जा वापस पाने का डिक्री पारित किया गया था। उन परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 निष्पादन की डिक्री से बंधे थे, जिसके कब्जे की वसूली अदालत के बेलीफ द्वारा वादी-प्रतिवादियों को दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बंशीधर बैजनाथ से स्वतंत्र किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं और यहां तक कि सीपीसी की धारा 95 के अलावा भी वादी प्रतिवादी संख्या 1 से संबंधित गोदाम के गलत उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान की वसूली के लिए कार्रवाई करने के हकदार हैं।

6. धारा 95 सीपीसी उसमें बताई गई स्थिति को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है और यह एक पार्टी के लिए एक अचल संपत्ति के गैरकानूनी उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान के लिए एक स्वतंत्र मुकदमा दायर करने के लिए खुला है यदि संबंधित पार्टी किसी अन्य के ऐसे गैरकानूनी कार्य को स्थापित कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप हानि और क्षतिपूर्ति के लिए इस तरह के मुकदमे का दायरा और दायरा सीपीसी की धारा 95(1) द्वारा परिकल्पित सीमित दायरे से आवश्यक रूप से व्यापक है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 उक्त तिलहन के मालिक थे और प्रतिवादी-बैठक केवल गिरवीदार था। डिक्री धारक वादी का

उक्त तिलहन पर कोई दावा नहीं था और न ही उन्होनें ने किसी भी स्तर पर कोई दावा किया था। यह प्रतिवादी ही हैं जिन्होंने ने सीपीसी के आदेश ग्ग्प् नियम 100 और 101 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें वादी को तेल के बीज हटाने से रोका गया था और सीताराम रॉय की हिरासत के तहत उक्त तिलहन तक पहुंच की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने भी मंजूर कर लिया था। उन परिस्थितियों में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादियों द्वारा प्राप्त उक्त अंतरिम आदेशों के आधार पर, वादी और सीताराम रॉय उक्त तिलहन गोदाम को नहीं हटा सके और पार्टियों की उपस्थिति में अंतरिम आदेशों को पूर्ण बना दिया गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि इसे पार्टियों की सहमति से पारित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उन तिलहनों को हटाने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया था जिनके संबंध में वादी द्वारा किसी भी समय कोई दावा नहीं किया गया था। प्रतिवादी माल के संरक्षक नहीं थे। माल वादीगण के कर्मचारी सीताराम राय की अभिरक्षा में रखा गया था। इसलिए, मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि वादी ने डिक्री के निष्पादन में गोदाम का कब्जा खाली स्थिति में नहीं बल्कि उसमें संग्रहित तिलहन के साथ प्राप्त किया और जमानतदार ने वादी के डिक्री के कर्मचारी को बना दिया। -धारक, उक्त सामान का संरक्षक। वादी डिक्री-धारकों और उक्त संरक्षक को स्वयं तेल बीज न हटाकर किसी भी प्रकार के तेल बीज हटाने से रोकने से, प्रतिवादी क्षति के लिए उत्तरदायी हो गए। उस का रण से

वादी उक्त गोदाम का लाभकारी तरीके से प्रभावीदार डिक्री पारित होने के बाद उक्त गोदाम में कोई शीर्षक, अधिकार या हित स्थापित नहीं कर सके। बेदखली का मुकदमा और, इसलिए, उन्हें अपना माल उसमें रखकर उक्त गोदाम पर वास्तव में या रचनात्मक रूप से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं था। मेसर्स भगत ऑयल मिल्स, जो मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल था, विवादित परिसर का उप-पट्टेदार था और बैजनाथ भगत उक्त मुकदमे में मालिक के रूप में उपस्थित हुए थे और उनकी मृत्यु पर उनके स्थान पर अन्य प्रतिवादियों को प्रतिस्था पित किया गया था। उन परिस्थितियों में, सभी प्रतिवादी निष्पादन की डिक्री से बंधे थे, जिसके कब्जे की वसूली अदालत के बेलीफ द्वारा वादी-प्रतिवादियों को दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बंसीधर बैजनाथ से स्वतंत्र किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे और इसलिए, सीपीसी की धारा 95 के अलावा भी वादी प्रतिवादी संख्या 1 से लेकर विचाराधीन गोदाम के गलत उपयोग और कब्जे के लिए क्षति के लिए एक स्वतंत्र मुकदमा दायर कर सकते थे। 4. डिक्री धारक वादी का उक्त तिलहन पर कोई दावा नहीं था और न ही उन्होनें ने किसी भी स्तर पर कोई दावा किया था। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं था कि बेलीफ ने सामान को वादी के कर्मचारियों में से एक की हिरासत में रखा था और यह प्रतिवादी थे जिन्होने अगले ही दिन निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया था और उसे प्राप्त किया था।

7. जिस पृष्ठभूमि में निषेधाज्ञा प्राप्त की गई थी और जिस तरह से प्रतिवादियों ने वादी को अपने परिसर का उपयोग करने से रोका था, यह स्पष्ट है कि इसे अपर्याप्त और असंभव आधारों पर प्राप्त किया गया था। पार्टियों का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादियों को परिसर के कब्जे से वंचित करने के लिए ही ऐसा आदेश प्राप्त किया गया था। बैठक माल का गिरवीदार था और उक्त परिसर के संबंध में स्वतंत्र अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। मुकदमा परिसर या तो लाइसेंस के तहत या पट्टे के माध्यम से उनके कब्जे में नहीं था। उन्हें न केवल यह पता लगाना चाहिए था कि सामान गिरवी रखने वाले का है या नहीं, बल्कि यह भी जानना चाहिए था कि जिस परिसर में सामान रखा गया था, वह गिरवी प्राप्त करने के समय उनका था या नहीं। उन परिस्थितियों में, बैठक भी मामले में उत्पन्न दुर्भावना से खुद को मुक्त नहीं कर सकता है। किसी मुकदमे में दलील देने या कोई मुद्दा उठाने की इच्छा तब उत्पन्न होती है जब किसी पक्ष को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। ऐसे मा मले में जहां तथ्य स्पष्ट रूप से बड़े हैं और पक्ष इस आधार पर सुनवाई के लिए जाते हैं कि दूसरे पक्ष का दावा उन्हें स्पष्ट रूप से पता है, हम यह समझने में विफल रहते हैं कि दलीलों की कमी उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

8. मामले को देखते हुए, हम सोचते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों को खारिज करना उचित था। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा

दिए गए आदेश की पुष्टि करते हैं और इन अपीलों को जुर्माने सहित खारिज करते हैं।

अपील लागत सहित खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रवीण चैहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।